I-37542/2024 4315 / 12.09.24. (21) -750-

प्रेषक,

प्रदीप पंत,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक : 05 सितम्बर, 2024

विषय– कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून एवं हरिद्वार में **General Counsellor and Child Counsellor** के आबद्धीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–135, दिनांक 21.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद देहरादून एवं हरिद्वार स्थित कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं का आबद्धिकरण किया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल से प्राप्त अनुशंसा के क्रम में जनपद देहरादून एवं हरिद्वार स्थित कुटम्ब न्यायालय में पूर्व से कार्यरत परामर्शदाताओं के आबद्धिकरण को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

2– उक्त के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–3966, दिनांक 25.07.2024 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के नियम 26 में निर्धारित व्यवस्था के दृष्टिगत कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून एवं हरिद्वार निम्न परामर्शदाताओं को 03 वर्ष तक की अवधि (यदि उससे पहले आबद्धता समाप्त न कर दी जाय) के लिये इस शर्त पर आबद्ध किया जाता है कि यह एक व्यावसायिक आबन्धन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है। इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी समाप्त कर सकती हैं। सम्बन्धित अधिवक्ता अपनी आबद्धता की अवधि में उत्तराखण्ड राज्य के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे और न राज्य के विरूद्ध कोई विधिक परामर्श देगें। वह उ0प्र0 कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 के नियम 27 में अंकित उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे। उक्त अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण–पत्र भी शासन को प्रस्तुत करेगें कि उन्हें इन शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है।

Admin.B
RG
09.09.24

S.NO.	Name Of Candidates	For The Post	Family Court
1	Ms. Deveshi Singh	General Counsellor	Dehradun
2	Ms. Seema Prajapati	General Counsellor	Haridwar
3	Ms. Princess Rawat	Child Counsellor	Dehradun
4	Ms. Shradhanjali Tripathi	Child Counsellor	Haridwar

Training & Placement Cell
Swami Rama Himalayan University
Dehradun (Uttarakhand)

/237549/2024

3— परामर्शदाता के पद पर आबद्ध अधिवक्ता को उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश संख्या—I/216818/2024, दिनांक 10.06.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुसार निर्धारित मानदेय देय होगा।

4— कृपया उक्त अधिवक्ता से उनकी सहमति प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्तानुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Pradeep Pant
Date: 05-09-2024 11:01:43
(प्रदीप पंत)
प्रमुख सचिव।

संख्या—237549/(1)/XXXVI(3)/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जनपद देहरादून एवं हरिद्वार।
4. जिलाधिकारी, देहरादून एवं हरिद्वार।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून एवं हरिद्वार।
6. श्री रवि सिंह नेगी, अधिवक्ता, निवासी—ग्राम—सुन्दरवाला, पो—रायपुर, देहरादून।
7. सुश्री अर्पणा चौहान, अधिवक्ता, निवासी—चौहान प्रोविशनल स्टोर, कालसी गेट, देहरादून।
8. सुश्री मधु ठाकुर, अधिवक्ता, निवासी—7, खुडबुडा महोल्ला, देहरादून।
9. सुश्री हेमलता, अधिवक्ता, निवासी— सी0टी0—34, पुरानी यमुना कालोनी, डाकपत्थर, विकासनगर, देहरादून।
10. श्रीमति सुनिता, अधिवक्ता, निवासी— मेन बाईपास रोड़, निकट हुंडाई सर्विस सेण्टर, अमितग्राम, गुमानीवाला, ऋषिकेश, देहरादून।
11. सुश्री सीमा शर्मा, अधिवक्ता, निवासी— एन—28, विवेक विहार, रानीपुर मोड़ा, हरिद्वार।
12. श्रीमतीं शिवानी कालरा, अधिवक्ता, निवासी—176, साकेत रूड़की, हरिद्वार।
13. श्री प्रिया बन्धु, निवासी— ग्राम प्रहलादपुर, तहसील—लकसर, हरिद्वार।
14. एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
05/09/2024
(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।

Training & Placement Cell
Swami Rama Himalayan University
Dehradun (Uttarakhand)

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक: जून, 2024

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों के परामर्शदाताओं के मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–19/XXXVI(2)2013-89-एक(1)/2004, दिनांक 18.01.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों के परामर्शदाताओं का मानदेय रू0 25000/–(पच्चीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 50000/– (पचास हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह के साथ–साथ रू0 10000/– (दस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह यात्रा शुल्क, इस प्रकार कुल रू0 60000/– (साठ हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह किये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त बढ़ा हुआ मानदेय दिनांक 01 जून, 2024 से अनुमन्य होगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय– 04–पारिवारिक न्यायालय–00" के अधीन सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1/216142/2024/XXVII(7)/2024 दिनांक 06 जून, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by Pradeep Pant
Date: (प्रदीप 2024) 13:14:09
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– समस्त प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित परामर्शदाता, कुटुम्ब न्यायालय, समस्त जिले, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–7/एन0आई0सी0/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।

Training & Placement Cell
Swami Rama Himalayan University
Dehradun (Uttarakhand)